फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बंशी लाल पुत्र दीपाराम जाति दर्जी, निवासी हड़वेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		कमल किशोर पुत्र अलसाराम जाति दर्जी, निवासी हड़वेचा तहसील शिव जिला बाड़मेर वगैरा (15)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88) मुकदमा नम्बर 38/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.03.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री भगवानदास गोयल ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 06.05.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
06.5.24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के [illegible] से [illegible] होकर [illegible] दिनांक 15.5.24 को पेश हो।	
15.5.24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इन्तजार होकर दिनांक 22.5.24 को पेश हो सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
22.5.24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता [illegible] पत्रावली में अन्य कोई [illegible] कार्यवाही नहीं होने के कारण इन्तजार होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30.5.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:08:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2025

पत्रावली पेश हुई।

उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 555/132 रकबा 3.9659 हैक्टयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 13.1927 हैक्टयर व खसरा नम्बर 128 रकबा 26.7092 हैक्टयर मौजा हडवा, पटवार मण्डल गुंगा, तहसील शिव में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को अपने पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता स्व0 दीपाराम की फोतगी पर खोले गये नामान्तरकरण में तथा अन्य कृषि भूमि अर्जित करते समय वादी के शेशवकाल के घरेलु नाम एवं आम बोलचाल व घरेलु नाम व वल्दियत बच्चा पुत्र दीपा का इन्द्राज कर दिया गया, जबकि मुझ वादी का सही नाम व वल्दियत बंशीलाल पुत्र दीपाराम है। वादी के अन्य आवश्यक दस्तावेजात के रेकर्ड इत्यादि में वादी का सही नाम व सही वल्दियत बंशीलाल पुत्र दीपाराम दर्ज है तथा मैं वादी मेरे नाम व मेरी वल्दियत में एकरूपता रखने के लिए उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि बच्चा पुत्र दीपा के स्थान पर सही नाम व सही वल्दियत बंशीलाल पुत्र दीपाराम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह वाद घोषणा प्रस्तुत किया है।

वादी के वाद को पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में अवलोकन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादी का सही नाम व सही वल्दियत बंशीलाल पुत्र दीपाराम होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 555/132 रकबा 3.9659 हैक्टयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 13.1927 हैक्टयर व खसरा नम्बर 128 रकबा 26.7092 हैक्टयर मौजा हडवा, पटवार मण्डल गुंगा, तहसील शिव कि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम व वल्दियत बच्चा पुत्र दीपा के स्थान पर वादी का सही नाम व सही वल्दियत बंशीलाल वल्द दीपाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तद्नुसार डिक्रि पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:08:45 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
शिव

Scanned with OKEN Scanner